विधानसभा अतारांकित प्र. क्र. 1751
प्रश्नकर्ता मान. विधायक श्री दिनेश राय
सदन में पटल दिनांक - 15.12.2015   1/2

                                    परिशिष्ट

(iv) प्रकरण की तथ्यात्मक जानकारी एवं चाही गई राहत (relief)

नामोदिष्ट अधिकारी विवाद का निपटान लिखित शिकायत की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 7 (सात) दिवस की कालावधि के भीतर करेगा।

(स) शिकायत की जांच करने पर यदि देयक त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को देयक भुगतान करने की पुनरीक्षित अंतिम तिथि दर्शाते हुए, जो पुनरीक्षित देयक जारी करने के न्यूनतम 7 (सात) दिवसों से कम न होगी, सही किया गया पुनरीक्षित देयक जारी करेगा। उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि, यदि कोई हो, का समायोजन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुवर्ती देयकों में किया जाएगा।

(द) ऐसे प्रकरण में, जहां यह सिद्ध हो जाने पर कि मूल देयक सही था, वहां उपभोक्ता को अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान मूल देयक राशि पर प्रयोज्य अधिभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तदनुसार उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(ई) विवाद पर दिये गये निर्णय से यदि उपभोक्ता संतुष्ट न हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकता है।

उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उपभोक्ता का विधिमान्य उत्तराधिकारी, (legal heir) ऐसे उपभोक्ता पर बकाया राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। विधिमान्य उत्तराधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर संयोजन को अपने नाम पर परिवर्तित कराने हेतु भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

जन विच्छेद (Disconnection) :

उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के संयोजन को अस्थाई विच्छेदन के बगैर, अधिकतम 3 (तीन) माह की युक्तियुक्त अवधि के अध्यधीन जारी न रखा जाना सुनिश्चित करे। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों का नियमित रूप से अनुवीक्षण (मानीटर) किया जाना सुनिश्चित करे तथा अस्थायी या स्थायी रूप से संयोजन के विच्छेद हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही की पहल करे।

4 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, निर्धारित तिथि तक किसी देयक का पूर्ण भुगतान करने में चूक करता है तो उपभोक्ता का सेवा नियोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकेगा जिसके लिये उपभोक्ता के सेवा नियोजन का विच्छेद करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे पूर्ण 15 (पंद्रह) दिवस की लिखित सूचना दी जाएगी। घरेलू संयोजन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के किसी वयस्क सदस्य को इस बारे में सूचित किया जाए। यदि संयोजन विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण के प्रस्तुतिकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विच्छेदन के प्रयोजन

सत्यापित
महाप्रबंधक (कार्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा।

9.15 अस्थाई संयोजन विच्छेद के पश्चात्, विद्युत प्रदाय उसी दशा में पुनर्स्थापित किया जाएगा जब उपभोक्ता बकाया प्रभारों/देय राशि/निर्धारित की गई किश्त की राशि मय संयोजन विच्छेद तथा उसे जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।

9.16 यदि उपभोक्ता अपने संयोजन को अस्थाई रूप से छः माह तक का अवधि हेतु विच्छेदित कराना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों, जैसे कि स्थायी प्रभार (fixed charge), न्यूनतम प्रभार (minimum charge), मापयन्त्र प्रभार (metering charges) इत्यादि के अग्रिम भुगतान करने होंगे। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा की प्राप्ति हेतु उपभोक्ता को विच्छेदन (disconnection)/संयोजन (connection) प्रभारों के भुगतान भी करने होंगे। 'अनुरोध पर अस्थाई विच्छेदन (disconnection on request)' की अवधि, उपभोक्ता से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एवं आवश्यक प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने पर बढ़ाई भी जा सकती है।

अनुमोदित

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

महाप्रबंधक (कार्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर